



20/8/25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवादी उप  
साक्ष्यप्रतिवादी में अक्सर चाहा गया।  
न्यायद्वि में अंतिम अक्सर प्रदान किया  
जाता है। पत्रावली दि. 24/09/25 को  
पेश हो

  
20/8/25

24/09/25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवादी  
अनुपस्थित। प्रतिवादी भी अनुपस्थित।  
तीन बार आवाज लगाई, कोई भी  
उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण को अन्तर्गत  
आदेश 9 नियम 8 CPC अधिनियम हाजरी व  
अधिनियम में खारिज किया जाता है।  
पत्रावली के साथ शुमार लेकर नम्बर से  
क्रम लेकर बाद तारीख दारिज इफ्तदार  
हो।

  
24/9/25

उपखण्ड अधिकारी  
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

